14.30 hrs.

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of section* 5) *by Shri Yashpal Singh*)

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885."

The motion was adopted.

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—contd.

(*Amendment of articles* 1, 2, 3, 4, *etc.*) *by Shri Prakash Vir Shatsri*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Prakash Vir Shastri on the 3rd September, 1965:

"That the Bill, further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

One hour and fifty-nine minutes are left.

Shri Kapur Singh.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Sir, I was speaking on that day and I have not finished my speech. When I was speaking, the Prime Minister intervened, because he had to make a statement at that particular time. So I have to speak.

Mr. Deputy-Speaker: You have not finished? You have already taken ten minutes. You may take one or two minutes and finish.

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मे कह रहा था कि माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, का विधेयक विचारणीय है और इसलिए उस को कम से कम जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए । आज हमारी स्थिति क्या है, मगर हम इस पर विचार करें, तो हम अनुभव करेंगे कि इस विधेयक में काफ़ी तथ्य है । आज हम को विचार करना होगा कि मौजूदा संघ-शासन प्रणाली देश के हित को कहां तक अग्रेतर कर रही है और कहां तक देश के हित को पीछे कर रही है ।

हमने अपने प्रान्तों का बंटवारा किया भाषा के आधार पर । ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रान्तों का बंटवारा भाषा के आधार पर नही किया था, बल्कि शासन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए किया था । हमने प्रान्तों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया, जिसकी शुरूआत आन्ध्र से हुई । उसका परिणाम आज यह है कि देश भर में भाषा के प्रश्न को लेकर विवाद और झगड़े हो रहे हैं । अंग्रेज़ी को लेकर दक्षिण में जो कुछ हुआ, वह हमारे लिए एक बड़ी दुखप्रद घटना है । अगर हमारे प्रान्तों का आधार भाषा न होती, तो शायद ऐसी घटना न होती । उस स्थिति में हर एक प्रदेश में कई भाषायें सम्मिलित होती और भाषा को लेकर कोई झगड़ा न होता ।

अंग्रेज़ी को लेकर देश में कभी झगड़ा नही हुआ, लेकिन एक देशी भाषा को लेकर, जिसका संविधान में प्रधान स्थान है, जो कि राष्ट्रभाषा है, देश में झगड़ा हो गया, क्योंकि हमने भाषा के आधार पर प्रान्तों की रचना की । यही नहीं, बल्कि उस वक्त यह मांग भी होने लगी कि हम देश से अलग हो जायेंगे । यह मांग इस आधार पर की गई कि हमारा प्रदेश अलग है, जिसकी भाषा और सभ्यता एक है । भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण से देश

*Published in Gazetted of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 5-11-65.